उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मुटेशन रिविजन वाद सं0-40/2021-22

सत्यनारायण पासवान

बनाम्

मो0 सुदामा एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 1/11/23

वर्तमान रिविजन वाद की प्रक्रिया रिविजनकर्त्ता सत्य नारायण पासवान, पे0—स्व0 सुकदेव हाजरा, सा0—कपेटा, थाना—बसंतराय, जिला—गोड्डा के रिविजन आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। रिविजनकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के मुटेशन अपील वाद सं0—08/2020—21 के आदेश दिनांक—14.09.2021 के विरूद्ध रिविजन वाद दायर किया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने मुटेशन अपील वाद सं0—08/2020—21 के आदेश दिनांक—14.09.2021 के द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा के नामांतरण वाद सं0—10/2016—17 में दिनांक—14.05.2016 के पारित आदेश के द्वारा किये गये नामांतरण को रद्द किया है।

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना।

रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा—हरगामा नं0—66, जमाबंदी सं0—37, दाग नं0—206 रकवा 03—06—10 धुर एवं दाग नं0—225,रकवा 01—02—14 धुर कुल रकवा 04—19—04 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में वंशी दुसाध चौकीदार, पे0—दासु दुसाध के नाम से दर्ज है। वंशी दुसाध चौकीदार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पंचकौड़ी हाजरा चौकीदार नियुक्त हुए एवं चौकीदार के रूप में उक्त चौकीदारी जागीर जमीन पर दखलकार हुए। पंचकौड़ी हाजरा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सुकदेव हाजरा चौकीदार नियुक्त हुए एवं शांतिपुण ढंग से चौकीदारी जागीर जमीन पर दखलकार हुए। उक्त सुकदेव हाजरा की भी मृत्यु हो गयी है एवं उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र सत्यनारायण पासवान वर्ष 1998 में चौकीदार नियुक्त हुए तथा मौजा—हरगामा के जमाबंदी सं0—37 की चौकीदारी जागीर पर दखलकार हुए। उनका आगे कथन है कि रिविजनकर्त्ता को चौकीदार को वेतन प्रारम्भ होने के पूर्व वर्ष 1998 में चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया है। उस समय चौकीदार को चौकीदारी जागीर जमीन उनकी सेवा के

बदले में दिया गया था एवं तब से रिविजनकर्त्ता चौकीदार है तथा उक्त चौकीदारी जागीर जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार होकर कृषि कार्य करते आ रहे है। उनका आगे कथन है कि रिविजनकर्त्ता अपने क्रम के अंतिम चौकीदार है, जिनको चौकीदारी जागीर जमीन उनके सेवा के लिए दिया गया था। इसलिए चौकीदारी जागीर जमीन पर रिविजनकर्त्ता का ही हक एवं अधिकार बनता है। उक्त चौकीदारी जागीर जमीन पर सुकदेव हाजरा के अन्य उत्तराधिकारी का कोई हक एवं अधिकार नहीं है तथा उक्त जमीन पर उनलोगों का दखल कब्जा भी नहीं है। उनका आगे कथन है कि रिविजनकर्त्ता का उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से दखल कब्जा होने के कारण रिविजनकर्त्ता ने उक्त जमीन का नामांतरण के लिए अंचल अधिकारी, पथरगामा के समक्ष आवेदन दाखिल किया था। अंचल अधिकारी, पथरगामा ने मुटेशन केश नं0–10/16–17 संधारित कर नामांतरण की उचित प्रक्रिया अपनाकर रिविजनकर्त्ता के नाम से नामांतरण किया है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष ने उक्त नामांतरण के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में मुटेशन अपील वाद सं0–8/2020–21, जो 03 वर्ष 03 माह 17 दिन बिलम्ब से दायर किया था। लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने अवैध तरीके से अपने आदेश दिनांक–14.09.2021 के द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा के नामांतरण आदेश को रद्द किया है। चूँकि विचाराधीन जमीन रिविजनकर्त्ता के चौकीदारी जागीर जमीन है एवं उक्त जमीन का बँटवारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अंचल अधिकारी, पथरगामा के मुटेशन केश नं0–10/16–17 में दिनांक–14.05.2016 के पारित आदेश को यथावत रखने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–हरगामा नं0–66, जमाबंदी सं0–37 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में वंशी दुसाध चौकीदार के नाम से चौकीदारी जागीर के रूप में दर्ज है। खतियानी चौकीदार वंशी दुसाध की मृत्यु के बाद उनके पुत्र पंचकौड़ी हाजरा मौजा–कपेटा का चौकीदार नियुक्त हुए एवं उक्त चौकीदारी जागीर पर दखलकार होकर कृषि कार्य करने लगे। पंचकौड़ी हाजरा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सुकदेव हाजरा चौकीदार नियुक्त हुए एवं चौकीदारी जागीर पर दखलकार होकर कृषि कार्य करने लगे। उनका आगे कथन है कि उक्त

जमीन लगातार सुकदेव हाजरा एवं उनके वंशज के दखल में रहा। बाद में सुकदेव हाजरा ने उक्त जमीन का लगान निर्धारण के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में लगान निर्धारण वाद सं0–06/85–86 दायर किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने उक्त जमीन का लगान निर्धारण सुकदेव हाजरा के नाम से किया एवं उस समय से उक्त जमीन का प्रकृति चौकीदारी चाकरान की जमीन से परिवर्तित होकर जमाबंदी जमीन हो गया है। अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा पंजी–II में भी प्रविष्टि की गयी है एवं सुकदेव हाजरा के नाम से लगान रसीद भी निर्गत किया गया। इस प्रकार सुकदेव हाजरा ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 6 के तहत उक्त जमीन पर दखलकार के आधार पर हक प्राप्त कर लिया है। सुकदेव हाजरा की मृत्यु के बाद उनके छः पुत्र क्रमशः कामेश्वर दास, भूदेव पासवान(उत्तरवादी सं0–06), सिकन्दर पासवान, महेन्द्र पासवान, प्रकाश पासवान(उत्तरवादी सं0–13), सत्यनारायण पासवान एवं पत्नि मो0 कलावती (उत्तरवादी सं0–14) को उक्त जमीन पर संयुक्त रूप से विरासत में प्राप्त हुआ एवं संयुक्त रूप से लगान का भुगतान कर उस पर संयुक्त रूप से दखलकार हुए। बाद में सुकदेव हाजरा के वंशजों की संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त परिवार में रहने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उक्त जमीन का बँटवारा के लिए सभी सहमत हुए एवं आपसी सहमति से पंचनामा के माध्यम से दिनांक–25.01.1998 को सभी हिस्सेदारों ने आपसी बँटवारा कर लिया एवं उसी के अनुरूप जमीन पर दखलकार हुए एवं कृषि कार्य करने लगे। इस प्रकार सुकदेव हाजरा से दोनों पक्ष को उक्त जमीन प्राप्त हुआ है। लेकिन रिविजनकर्त्ता ने अंचल अधिकारी, पथरगामा के नामांतरण वाद सं0–10/16–17 के आदेश दिनांक–14.05.16 के द्वारा अपने नाम से नामांतरण करा लिया था। जानकारी होने पर उत्तरवादी की ओर से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में मुटेशन अपील वाद सं0–8/20–21 दायर किया था। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने तथ्यों के आधार पर नियम संगत आदेश पारित किया है। क्योंकि रिविजनकर्त्ता ने उक्त नामांतरण मामले में उक्त जमीन पर अपने अधिकार के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। रिविजनकर्त्ता का यह दावा कि उनको चौकीदार के रूप में उनकी सेवा के बदले चौकीदारी जागीर जमीन दिया था, बिल्कुल ही निराधार है। चूँकि जमीन पर रिविजनकर्त्ता का हक नहीं है। बल्कि उक्त जमीन पर दोनों पक्ष का हक है। इस प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,

गोड्डा का पारित आदेश विधि सम्मत है। इसलिए रिविजनकर्त्ता का रिविजन आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा नामांतरण वाद सं0–10/2016–17 के आदेश दिनांक–14.05.2016 के द्वारा मौजा–हरगामा नं0–66, जमाबंदी सं0–37 कुल रकवा 04–19–04 धुर जमीन चौकीदारी जागीर के आधार पर रिविजनकर्त्ता के नाम से नामांतरण किया गया है। जिसके विरूद्ध उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के मुटेशन अपील वाद सं0–8/2020–21 दायर किया गया। उक्त अपील वाद के पारित आदेश में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा का निष्कर्ष है कि अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा दिनांक–29.04.2016 को सौलह आना रैयान के नाम निर्गत नोटिश किस तिथि को तामिला करायेा, के संबंध में स्पष्ट तामिला प्रतिवेदन संलग्न नहीं है। उक्त नोटिश तामिला के बाद आदेश पारित के पूर्व आपत्ति हेतु पक्षों को निर्धारित अनुमान्य समय दिया गया है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं है। आगे निष्कर्ष है कि द्वितीय पक्ष अर्थात प्रतिवादी के द्वारा उक्त नामान्तरित जमीन चौकीदारी जागीर के रूप में प्राप्त करने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा के नामांतरण आदेश को रद्द किया गया। जबकि इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा पुनर्विचार हेतु अभिलेख अंचल अधिकारी, पथरगामा को रिमाण्ड नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील वाद सं0–08/2020–21 के आदेश दिनांक–14.09.2021 को निरस्त किया जाता है एवं अभिलेख पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

समाहरणालय, गोड्डा
जिला विधि शाखा, गोड्डा

दि:- 23.11.23

ज्ञा० सं०:- 79

प्रतिलिपि:- भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, गोड्डा को उनके न्यायालय का सुलहनामा अपील वाद सं० - 08/2020-2021 (मो० मुनाजात शौकत सरफराज खान बनाम) मूल अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
गोड्डा
21/11/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.12.09 10:39:45 +05:30
Location: 192.168.1.37